कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध)
प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / एफ–11 / भू–प्रबंध / सम0 / भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म0प्र0
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व, म0प्र0
3. समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, म0प्र0
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, म0प्र0

विषयः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि उपयोग पर देने के प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार करने बाबत।

संदर्भः–1. कार्यालयीन पत्र क्र. 572 दिनांक 07.02.2002
2. भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय का पत्र क्र./F-11/10-11/2825 दिनांक 14.02.12.
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ–11/80/10–11/2825 दिनांक 31.08.2012.

---0---

कृपया उपरोक्त संलग्न संदर्भों का भलीभांति अध्ययन करने का कष्ट करें वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के परिपालन में वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि अथवा बिगड़ें वनों के दुगने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जाने के लिये 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार किया जाकर उपयोगकर्ता व्यक्ति / संस्था से आवश्यक राशि जमा करायी जाती है। अतः प्राक्कलन तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं, ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों में निहित आशय एवं उद्देश्यों की भली–भॉति पूर्ति की जा सके–

1. वन भूमि व्यपवर्तन का आवेदन प्राप्त होने, प्रकरण तैयार होने के दौरान ही वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वनमण्डल स्तर पर तैयार की जाती है। जिसमें वर्तमान वर्ष को ही आधार मानकर उसी वर्ष की प्रचलित दरों को अधिरोपित कर प्राक्कलन राशि की गणना की जा रही है एवं अगले वर्षों के लिए दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि लगाई जाकर 10 वर्षीय प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। किन्तु अभी तक के अनुभव से यह स्पष्ट हो रहा है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार करने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्राप्त होने की प्रक्रिया एवं शर्तों की पूर्ति में एक से दो वर्ष लग ही जाते हैं। इसके अलावा अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात राज्य कैम्पा की, कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त होने तथा इसके आधार पर एड–हॉक कैम्पा से कार्य कराने हेतु आवश्यक राशि विमुक्त होने में भी एक वर्ष लग ही जाता है।

उपरोक्त दोनों औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत दो वर्ष पश्चात जब वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य मौके पर कराये जाने की स्थिति आती है तब तक दरों में वृद्धि हो चुकी होती है। किसी भी वृक्षारोपण कार्य में मुख्य एवं अधिकतम राशि का उपयोग क्षेत्र तैयारी वर्ष (प्रथम वर्ष) एवं रोपण वर्ष (द्वितीय वर्ष) में ही होता है। अतः उस वर्ष की प्रचलित दरों के अनुसार राशि उपलब्ध होना वृक्षारोपण की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अतः प्राक्कलन तैयार करते समय दो वर्ष पश्चात् के वर्ष को आधार वर्ष मानकर प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए और प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में ही हो इसका भी अवश्य ध्यान होना चाहिये (अक्सर देखने में आ रहा है कि अलग–अलग वनमंडलों द्वारा अलग–अलग प्रपत्रों में प्राक्कलन तैयार किया जाता है) इस प्रकार की कार्यवाही से ही शासन की मंशा अनुसार वृक्षारोपण योजना सफल हो सकेगी।

2. प्राक्कलन वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित जॉब दरों के आधार पर ही बनाया जावे।
3. योजना में यदि कोई निर्माण कार्य अथवा अधिक राशि के कोई कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं तो उस कार्य हेतु पृथक से प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया जावे।
4. जो भी निर्माण कार्य/अथवा अधिक राशि के कोई कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं उनके औचित्य के संबंध में प्राक्कलन में टीप अंकित किया जाना चाहिए एवं ऐसे कार्यों के लिये लागू की जा रही दरों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
5. नक्शे पर सभी प्रस्तावित कार्य अलग–अलग रंगों से चिन्हांकित किया जाना चाहिए तथा वनमंडल अधिकारी एवं समस्त कर्मचारियों के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित होना चाहिए।
6. वृक्षारोपण योजना में सिंचाई का प्रावधान रखने पर निम्नानुसार स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए–
   (i) सिंचाई हेतु पानी के स्त्रोत की व्यवस्था एवं प्राक्कलन।
   (ii) वर्ष में कितने माह एवं माह में कितनी बार सिंचाई की योजना है।
   (iii) सिंचाई कार्य पर आवर्ती व्यय का औचित्य पूर्ण उल्लेख।
   (iv) रोपण क्षेत्र में स्थापित पौधे जिन्हें Adopt किया जाए उनकी सिंचाई का प्रावधान सामान्तया नहीं होना चाहिए।
7. प्रति हे0 रोपित पौधे तथा सी.बी.ओ. से प्राप्त पौधे एवं पूर्व से खड़े वृक्षों की संख्या न्यूनतम 1600 होनी चाहिए
8. प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य, वृक्षारोपण हेतु स्थल के अनुरूप लगाई गई दरें औचित्य पूर्ण एवं वन विभाग की स्थापित प्रक्रिया तथा मापदण्डों पर आधारित होना चाहिए।
9. रोपण हेतु गड्ढों का आकार, गड्ढों की संख्या, पौधा, खाद, मिट्टी, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं की मात्रा का आंकलन औचित्य पूर्ण होना चाहिए।
10. रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातियों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाकर संख्या सहित पूर्ण उल्लेख प्राक्कलन में किया जाना चाहिए। प्रजातियों का चयन करते समय इस बात की विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए कि
    (i) यथा सम्भव उस क्षेत्र में पूर्व से नैसर्गिक रूप से पायी जाने वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए।
    (ii) Exotic Species के रोपण की योजना न बनायी जावे।
11. रोपण के क्षेत्र के अनुरूप ही सुरक्षा श्रमिकों की संख्या निर्धारित की जावे। कहीं–कहीं देखने में आया है कि 1–2 हे0 क्षेत्र के लिये 2 सुरक्षा श्रमिक 10 वर्ष के लिये प्रस्तावित किये गये हैं जो कि आवश्यकता से अधिक प्रतीत होता है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.02.2012 की प्रभावशीलता :–

- इस संबंध में संदर्भित पत्र– 3 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 10 वर्षीय बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जो आगामी निर्देश तक लगातार निम्न प्रकार की स्थितियों में प्रभावशील रहेंगे।

(i) 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 14.02.2012 के बाद के समस्त नवीन प्रकरणों में बनाई जावेगी।

(ii) जिन प्रकरणों में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति दिनांक 14.02.2012 के बाद प्राप्त हुई हो, उन समस्त प्रकरणों में भी रोपण योजना 10 वर्षीय बनाई जावेगी।

(iii) ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 14.02.2012 के पूर्व प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी की गई है, किन्तु किन्हीं कारणों से आवेदक द्वारा समस्त शर्तों का पालन दिनांक 14.02.2012 के पश्चात् किया है, उन प्रकरणों में भी 10 वर्षीय रोपण योजना की अनिवार्यता होगी।

(iv) आवेदक संस्थाओं से इस आशय का वचन–पत्र लिया जावेगा कि जिस वित्तीय वर्ष में अंतिम चरण औपचारिक स्वीकृति जारी की गई है उस वर्ष के मजदूरी दर के आधार पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित की जावेगी तथा अन्तर की राशि को जमा करने हेतु आवेदक संस्था बाध्य होगी।

(v) आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त आधार पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो के पालन उपरान्त इस कार्यालय से लिखित निर्देश उपरान्त ही वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु आवेदक संस्था को हस्तांतरित की जावेगी।

वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कोई राशि सीमा निर्धारित नहीं की गई अतः स्थल विशेष की आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप कार्यों को प्रस्तावित किया जावे जिन्हें औचित्यपूर्ण सिद्ध किया जा सके तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित, रोपित पौधों की न्यूनतम 75 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(आर.एस. नेगी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ–11/भू–प्रबंध/सम0/ 3092 भोपाल, दिनांक 27.9.2013

प्रतिलिपिः–

समस्त शाखा प्रभारी, (बजट/सिंचाई/खनिज/विद्युत/विविध) कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण), म. प्र. भोपाल

क्र./572 भोपाल, दिनांक 7/2/02

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक म.प्र.
2. समस्त वनमंडलाधिकारी , म.प्र.

विषय :– क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए स्थल विशिष्ट प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक क्र./3026 दिनांक 22/12/2001।

उपरोक्त संदर्भ द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7/12/2001 एवं भारत सरकार के पत्र क्र./8–80/99/एफ.सी.डब्ल्यू. दिनांक 7/11/2001 की प्रतिया प्रेषित की गई थी भारत सरकार द्वारा प्रेषित उक्त पत्र इस संदर्भ में प्रेषित पत्र क्र./एफ.ए. 11/30/96 /एफ.सी .दिनांक 10/12/2001 की छायाप्रतियां इस ज्ञाप के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसका अध्ययन कर पालन कृपया सुनिश्चित करें।

02. कंडिका एक में उल्लेखित पत्रों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट वन मंडल कार्यालय में तैयार किये जाएगे जो कि स्थल विशिष्ट होंगे तथा उनमें स्थानीय आवश्यकतानुसार साथ वर्ष की अवधि हेतु समस्त व्ययों का आंकलन कर समावेश किया जावेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ही आवेदक संस्थान से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि की मांग की जायेगी तथा एक बार राशि प्राप्त हो जाने के उपरांत पुनः राशि की मांग नहीं की जाएगी । शासन के परिपत्र में यह भी उल्लेख है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। इसका आशय यह है कि प्रशासकीय अनुमोदन वन संरक्षक द्वारा तथा तकनीकी अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों की सीमा में प्रदान किया जायेगा तथा इसके लिखित में आदेश जारी किये जायेंगे।

03. राज्य शासन के परिपत्र दिनांक 7/12/2001 में यह भी उल्लेख है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रारूप का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वे.) द्वारा किया जायेगा अतः इसके पालन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें कोई भी परिवर्तन इस कार्यालय के अनुमोदन के पूर्व नहीं किया जायें।

संलग्न : (1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(2) म.प्र.शासन का पत्र दिनांक 7/12/2001 तथा इसके साथ संलग्न दिशा निर्देश।

(3) भारत सरकार का पत्र दिनांक 7/11/2001।

(4) भारत सरकार का पत्र दिनांक 10/12/2001।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
म.प्र. भोपाल

पृ.क्र./ 573 भोपाल, दिनांक 7/2/02

प्रतिलिपि : समस्त कक्ष प्रभारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण) भोपाल को अग्रेषित कृपया भविष्य में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते समय यह सुनिश्चित कर लेवें की संलग्न की जा रही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार योजना बनायी गई है या नहीं

संलग्न : (1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट

(2) म.प्र.शासन का पत्र दिनांक 7/12/2001 तथा इसके साथ संलग्न दिशा निर्देश।

(3) भारत सरकार का पत्र दिनांक 7/11/2001।

(4) भारत सरकार का पत्र दिनांक 10/12/2001।

मुख्य वन संरक्षक (भू–सर्वेक्षण)
म.प्र. भोपाल

-:वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश:-

वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शी निर्देश राज्य शासन के पत्र क्रमांक डी/5203/3827/2001/10/3 दिनांक 7-12-2001 द्वारा जारी किए जा चुके है। उक्त निर्देश मे वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रोजेक्ट का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) द्वारा तैयार किया जाना था जो कि संलग्न है।
उक्त प्रारूप अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किए जाते है:-

1. परियोजना के विवरण भाग मे केवल सामान्य जानकारी है जो कि स्वत: स्पष्ट है ।
2. स्थल विशेष जानकारी मे चयनित स्थल मे यदि पूर्व,मे कोई वृक्षारोपण कियागया है तो उसकी असफलता का मुख्य कारण अंकित किया जावे एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि वह अपलेखित किया गया हो तो उसका आदेश क्रमांक डाले । यदि अपलेखित नही किया गया हो तो तदनुसार उल्लेख किया जावें ।
3. क्षेत्र की भौगोलिक रचना मे जो जानकारी भरी जाना है वह मुख्यत: कार्यआयोजना से ली जावे शेष जानकारी वन मंडल अधिकारी,स्थल निरीक्षण कर अंकित करें ।
4. वन क्षेत्र के विवरण मे वनोपज का संक्षिप्त विवरण दर्शाया जाना है वह सेंपल के आधार पर परिगणित किया जावे एवं तदनुसार जानकारी अंकित की जावें । सेंपल सर्वे की जानकारी अलग रजिस्टर मे रखी जावें । प्रोजेक्ट मे समस्त प्रजातियों की एकजाई जानकारी अंकित की जावे ।
5 प्रति हे. पौधो की संख्या परिगणित करते हुए सी.बी.ओ.से प्राप्त पौधे, 20 से.मी. से अधिक गोलाई के पौधे ,20 से.मी. से कम गोलाई के पौधे एवं स्थापित पौधे एवं रोपित पौधो की कुल संख्या न्यूनतम 1600 प्रति हेक्टेयर होना चाहिए
6. योजना की अवधि 07 वर्ष है परन्तु यदि किन्ही परिस्थितियों के कारण इससे अधिक योजना की अवधि की आवश्यकता हो तो तदनुसार कारणों का उल्लेख किया जावे । ।
7. राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों मे स्थल चयन का कार्य वन मंडलअधिकारी द्वारा ही किया जावेगा अत: प्रारूप योजना के भाग-2 मे उल्लेखित प्रमाण पत्र वन मंडल अधिकारी द्वारा ही दिया जावेगा ।
8. योजना की तकनीक स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जावेगी ।
9. चयनित क्षेत्र का स्टाक मेप एवं उपचार मानचित्र 1:15000 के स्केल पर तैयार किया जाकर योजना के साथ संलग्न किया जावेगा ।
10. बिगडे बांस भिर्रों की सफाई एवं मिट्टी चढाई का कार्य प्रथम वर्ष मे ही किया जावेगा तथा यदि किसी क्षेत्र मे बांस के पौधें रोपित किए जाते है तो सातवें वर्ष मे ऐसे रोपित बांस के पौधों पर मिट्टी चढ.ाई एवं भिर्रा सफाई का कार्य किया जावेगा ।
11. तैयार किए गए प्रोजेक्ट का गोशवारा प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित प्रपत्र मे अंकित किया जावेगा ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे किसी प्रकार का परिवर्तन मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)की बिना अनुमति के नही किया जावेगा ।
13. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे आस्थामूलक कार्य हेतु प्रति हे0 परिगणित राशि का 12 प्रतिशत प्रावधान किया जावे
14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे मानव संसाधन विकास हेतु प्रति हे0 परिगणित राशि का 3 प्रतिशत प्रावधानित किया जावे।
15 मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार राशि प्रावधानित की जावे ।

मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण)
म0प्र0 भोपाल.

F.No. 8-80/99-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated: 07.11.2001

To

The Secretary (Forests)- (All States/UTs).

Sub: <u>Compensatory afforestation scheme- Regarding.</u>

Sir,

A detailed compensatory afforestation scheme is central to any proposal that is submitted to Government of India for seeking diversion of forest land for non-forestry purpose under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. The comprehensive scheme includes the year-wise phased forestry operations, details of species to be planted, maps of areas to be taken up for compensatory afforestation and a suitability certificate from afforestation/management point of view alongwith the cost structure of various operations.

It has come to the notice of the Ministry that compensatory afforestation schemes are being submitted at such rates which do not seem to be rational. The compensatory afforestation schemes no doubt has to be site specific and thus per hectare rate will vary from site to site. But it has been observed that at times schemes are being submitted with a cost structure which is at variance with the State norms for the same area. In this regard, it has been decided that henceforth the compensatory afforestation schemes which are being submitted alongwith the proposals for forestry clearance, must have technical and administrative approvals from the competent authority

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

2413
21-11-2001

Copy to:-
1. All PCCF/Nodal Officers (All States/UTs).
2. All Regional Offices.
3. DIG(FC), Director(FC), AIGs(FC).

7.11.2001

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

मुख्य वन संरक्षक
भू-सर्वेक्षण म. प्र. भोपाल
22.11.01

मुख्य वन संरक्षक
699
23/11/01

F.No. 11-30/96-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
F.C. Division

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated: 10.12.2001

The Secretary (Forests), (All States/UTs).

Sub: Compensatory afforestation scheme- Regarding.

Sir,

The Ministry's guideline regarding technical and administrative approvals of the competent authority for the compensatory afforestation schemes, which are being submitted alongwith the proposals for forestry clearance, has been circulated vide Ministry's letter No. 8-80/99-FC dated 7.11.2001.

In continuation of the above-mentioned letter it is to further clarify that whatever infrastructural facility is required by the State Government should form part of the compensatory afforestation scheme and can be included as supervision/monitoring charges on rational basis. No additional funds beyond the approved compensatory afforestation scheme should be sought from the user agency.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

Copy to:-
1. All PCCF/Nodal Officers (All States/UTs).
2. All Regional Offices.
3. DIG(FC), Director(FC), AIGs(FC).

(R.K. GUPTA)
Asstt. Inspector General of Forests

मध्य प्रदेश — शासन

वन विभाग

परियोजना का नाम —

वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष —

क्षेत्रफल —

वनमण्डल -

प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

कार्य का	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		षष्ठम वर्ष		सप्तम वर्ष		योग	
विवरण	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
योग																

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिर्पोट तैयार करने का प्रारूप

भाग–1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण :

(अ) परियोजना का नाम :

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन क्र दिनांक

(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण :

2. जिला :

3. [illegible] :

[illegible]

[illegible] :

विकास खण्ड :

विधान सभा क्षेत्र :

8. ग्राम पंचायत :

9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त :

10. क्षेत्रीय परिसर (बीट) :

2/ स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति :

2. वन खंड एवं कक्ष क्रमांक :

3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हेक्टे.) :

4. कार्य वृत्त :

5. उपचार श्रेणी/ पातन श्रेणी :

6. उपचार इकाई/ कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष :

7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी :

8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

की जानकारी वर्ष योजना क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना

बी. वर्ष

सी. क्षेत्रफल

डी. प्रजाति — अनु. — प्रजाति — पौध संख्या

ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण

एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण :

10. गठित समिति का प्रकार : ग्राम वन समिति / वन सुरक्षा समिति

11. समिति का मुख्यालय :

12. समिति में सम्मिलित गांव :

13. समिति के अध्यक्ष का नाम :

14. परिसर रक्षक / वन रक्षक का नाम :

15. परिक्षेत्र सहायक का नाम :

16. समिति के सदस्यों की जानकारी :

	लघु कृषक			सीमान्त कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी															
हरिजन															
पिछड़ा वर्ग															
सामान्य															
योग															

3/ उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

(ए) टोपोग्राफी Topography

(बी) एस्पेक्ट Aspect

(सी) ढलान Slope

(अ) पानी निकासी

(ब) भूक्षरण

(डी) चट्टानों का विवरण

(ई) मिट्टी का प्रकार :

(एफ) औसत वार्षिक वर्षा :

(जी) नरम मिट्टी का क्षत्र (हैक्ट.) :

(एच) कड़ी मिट्टी का क्षत्र (हैक्ट.) :

(आई) पथरीली मिट्टी :

<u>वन क्षेत्र का विवरण</u>

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

<u>वृक्षों की जानकारी</u>

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधा एवं स्थापित पौध	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष

(बी) साईट क्वालिटि घनत्व

(सी) पूर्ण वन वर्धन (Root stock development) का क्षेत्र

<u>ठूंट एवं गोलाई की गणना</u>

	गोलाई						
प्रजाति	20 सेमी तक की आड़ी टेड़ी पौध	21 से 30 सेमी	31 से 45 सेमी	46 से 60 सेमी	61 से 90 सेमी	91 से 120 सेमी	120 सेमी से ऊपर
योग							

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र :

(ई) आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(एफ) खरपतवार (मुख्यत: लेंटाना) :

(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(एच) चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

(आई) विकृत बांस का क्षेत्र :

(जे) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं :

(के) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) :

(एल) जैविक दवाव

प्रकार	जैविक दवाव		
	अत्याधिक	औसत	नगणय
वन्य प्राणी		[illegible]	
चराई		[illegible]	
मानव		[illegible]	

5/ 1. योजना का उद्देश्य

2. क्षेत्रफल –

6/ उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

कट बैंक का क्षेत्र हे.

वृक्षारोपण का क्षेत्र हे.

भूसंरक्षण कार्य का क्षेत्र हे.

लेन्टाना हे.

7/ रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे

8/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

(ए) ट्रक / ट्रेक्टर द्वारा

(बी) सिर बोझ द्वारा

9/ सिंचाई का विवरण

ए. जल स्त्रोत : नदी/ नाला / ट्यूब वेल/ कुंआ/ तालाब/ अन्य

बी. वृक्षारोपण से दूरी

सी. सिंचाई प्रकार : ड्रिप/ सतही/ स्प्रिंकलर/ अन्य

डी. बिजली उपलब्धता

10/ <u>प्रति हेक्टर पौधों की संख्या</u>

(ए) प्रति हैक्टेयर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :

(बी) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षो की संख्या (20 सेमी. से अधिक) :

(सी) क्षेत्र में रोपित एवं स्थापित पौधे (20 सेमी. गोलाई से कम) :

(डी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :

(न्यूनतम 1600 पौधे प्रति हैक्टेयर) कुल

11/ <u>योजना की अवधि</u>

12/ 1. <u>योजना पर होने वाला संभावित व्यय</u>

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मान चित्र पृथक से संलग्न है)

2. <u>प्रति हेक्टेयर व्यय</u>

13/ <u>अन्य विवरण</u>

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो / वृक्षारोपण के योग्य है।

हैक्टर पौधों की संख्या

हैक्टेयर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :

में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 सेमी. से अधिक) :

में सीड़ एवं स्थापित पौध (20 सेमी. गोलाई से कम) :

...म से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या

(न्यूनतम 1600 पौध प्रति हैक्टेयर) कुल

योजना की अवधि

1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हैक्टेयर व्यय

अन्य विवरण

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार ...र्यों / वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डल अधिकारी

निरीक्षण दिनांक

अनुमोदित

तकनीकि स्वीकृति आदेश क्र. दिनांक : द्वारा जारी की गयी।

वन संरक्षक

स्टोक मेप (1:15000 स्केल)

उपचार मानचित्र (1:15000 स्केल)

भाग 3 व्यय का विस्तृत प्राक्कलन

वित्तीय वर्ष प्रथम वर्ष भूमि तैयारी

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हैक्ट.) व क्षतिग्रस्त मुनारों की मरम्मत				
2	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री आदेश) हैक्ट.				
3	क्षेत्र सफाई (हैक्ट.)				
	[illegible] (लम्बाई मी.मे) (ए) एक वर्ष पूर्व सी.पी.टी./ सी.पी. डब्ल्यू. का सुधार (बी) पुराने वर्षों का सी.पी.टी./ सी.पी. डब्ल्यू का सुधार (सी) नई सी.पी.टी. का निर्माण (डी) नई सी.पी.डब्ल्यू. का निर्माण				
	योग				
5.	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन एवं निरीक्षण पथ निर्माण				
6.	गड्डों खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट 2X2 मीटर 3X2 मीटर 4X4 मीटर				

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
7.	वन वर्धन कार्य (सेम्पल प्लाट के अनुसार) (ए) जड़ भण्डार विकास कार्य हेतु 20 सेमी. से कम जीवित वृक्षों, विकृत वृक्षों की कटाई एवं सिंगलिंग कार्य (बी) जड़ भण्डार कार्य हेतु 20 सेमी. से ऊपर वृक्षों की कटाई/ ठूठ ड्रेसिंग (अ) 21— 30 ([illegible]) 31—45 ([illegible]) 46—60 ([illegible]) 61—90 (ई) 91—120				
[illegible]	बिगड़े बांस के भिरे (अ) सफाई संख्या (ब) मिट्टी चढ़ाई				
	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या (ए) 30X30X.30 सेमी. (बी) 45X45X.45 सेमी. (सी) गड्ढों में मिट्टी बदलना।				
10.	रोपणी व्यय संख्या।				
11.	अभियांत्रिकीय कार्य भू एवं जल संरक्षण कार्य (ए) चेक डैम संख्या घ.मी. (बी) कन्टूर ट्रेन्च (संख्या). (सी) कन्टूर बंडिंग (लम्बाई)				
12.	हट निर्माण				

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
13	ग्राम वन समिति का निर्माण एवं संगठन				
14	आस्था मूलक कार्य)जी.एफ.एम. आदि)				
15	मानव संसाधन विकास कार्य				
16	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण				
17	अन्य व्यय				
	योग				
	मजदूरी की दर कुल राशि: प्रति हेक्टेयर व्यय				

क्रम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	रोपणी कार्य (अ) प्रथम रोपण हेतु पौधे (ब) मृत पौधों को बदलने हेतु पौधे				
	सिंचाई व्यवस्था ए. पंप सेट (एच.पी.) बी. पाईप (लम्बाई मीटर) सी. सतही सिंचाई व्यवस्था (नालों का निर्माण / हेक्टे.) डी. ड्रिप सिंचाई व्यवस्था (हेक्ट.) ई. स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था (हेक्ट.) एफ. अन्य सिंचाई व्यवस्था				
3	पौधों का परिवहन (संख्या) (ए) ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा (बी) सिर बोझा द्वारा 1 कि.मी.				
4.	वृक्षारोपण (हेक्ट./ संख्या) सी.पी.टी. पर वृक्षों एवं बांसों का रोपण / खाली जगहों में बीज बोना 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच प्रथम निंदाई पौधे संख्या कंटूर ट्रेंच				
	द्वितीय निंदाई पौधे संख्या कंटूर ट्रेंच				

अनु	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
7.	तृतीय निंदाई पौधा संख्या कंटूर ट्रेंच				
8.	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग (हे./संख्या)				
9	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)				
10.	सिंचाई व्यय सतही (हेक्ट.) अन्य सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत / रखरखाव				
11.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
12.	सुरक्षा				
13.	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर कुल राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1	रोपणी व्यय (20 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)				
2	पुर्नरोपण हेतु पौधो का रोपण स्थल तक परिवहन (संख्या)				
3	प्रथम मरम्मत कार्य (मीटर) सी.पी.टी./ सी.पी.डब्ल्यू. [illegible]				
4	प्रथम निंदाई (हैक्ट. / संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
5	द्वितीय निंदाई (हैक्ट./ संख्या) 2X2 मी. 3X2 मी. 4X4 मी. कंटूर ट्रेंच				
	खाद व कीटनाशक दवा का प्रयोग (50प्रतिशत) (हैक्ट./ संख्या) 2X2 मी 3X2 मी 4X4 मी कंटूर ट्रेंच				
	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)				

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर . मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
गई व्यय ततही (हेक्ट.) ड्रेप (हेक्ट.) स्प्रिंकलर (हेक्ट.) प्रन्ग (हेक्ट.) सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ नव सुरक्षा कार्य (इकाई)				
[illegible] जड भंडार का करण (हे.) [illegible] से प्राप्त [illegible] की [illegible] रसीद पीछे छोड़े जाएंगे				
वन समिति द्वारा				
इकाई) दिवस दर व्यय				

वित्तीय वर्ष चतुर्थ वर्ष रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रख--रखाव

अनु	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)				
2.	पुर्नरोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन (संख्या)				
3.	निंदाई (हेक्ट./संख्या) 2X2 मी 3X3 मी 4X4 मी कंटूर ट्रेंच				
4.	सिंचाई व्यय ए. सतही (हेक्ट.) बी ड्रिप (हेक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.) डी अन्य (हेक्ट.) ई सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखावं (एकजाई)				
5.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
6.	सुरक्षा ग्राम वन समिति द्वारा				
7.	अन्य व्यय (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष पंचम वर्ष रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित एवं मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
	सिंचाई कार्य				
	ए. सतही (हेक्ट.)				
	बी ड्रिप (हेक्ट.)				
	सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.)				
	डी अन्य (हेक्ट.)				
	ई. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव				
	सिंगलिंग कार्य				
	मिश्रित प्रजातियों के 2 पौध पीछे छोड़े जाएंगे				
	[illegible] जाएगा				
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकड़ाई)				
4.	[illegible]				
5.	निंदाई (हेक्ट./ संख्या)				
	2X2 मी.				
	3X3 मी				
	4X4 मी.				
	कंटूर ट्रेंच				
5.	अन्य कार्य (एकड़ाई)				
	योग मानव दिवस				
	मजदूरी की दर.				
	राशि				
	प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष   अष्टम वर्ष   रोपण के पश्चात् चौथे वर्ष का रख-रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	सिंचाई व्यय				
	ए. नाली (हैक्ट.)				
	बी ड्रिप (हैक्ट.)				
	सी. स्प्रिंकलर (हैक्ट.)				
	डी अन्य (हैक्ट.)				
	ई. सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव (हैक्ट.)				
	अग्नि सुरक्षा रेखायें (इकाई)				
	सुरक्षा –				
	चौकीदार (इकाई)				
	योग मानव दिवस				
	मजदूरी की दर				
	राशि				
	प्रति हेक्टेयर व्यय				

वित्तीय वर्ष सप्तम वर्ष रोपण के पश्चात पांचवे वर्ष का रख–रखाव

अनु.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित दर मानव दिवस में	कुल मानव दिवस	रिमार्क
1.	सिंचाई व्यय ए सतही (हेक्ट.) बी ड्रिप (हेक्ट.) सी. स्प्रिंकलर (हेक्ट.) डी अन्य (हेक्ट.) ई सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत/ रखरखाव				
2	थाला निराई की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई				
3.	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई)				
4.	सुरक्षा				
5	घेराव का सुधार (लम्बाई मी. में) सी पी टी तार फेंसिंग				
6.	अन्य कार्य (एकजाई) योग मानव दिवस मजदूरी की दर राशि प्रति हेक्टेयर व्यय				

भाग–4 : प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा

अनु.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि	प्रति हेक्ट. व्यय
1.		भूमि तैयारी				
2.		रोपण				
3.		रोपण के पश्चात प्रथम वर्ष का रखरखाव				
4.		रोपण के पश्चात द्वितीय वर्ष का रखरखाव				
5.		रोपण के पश्चात तृतीय वर्ष का रखरखाव				
6.		रोपण के पश्चात चौथे वर्ष का रखरखाव				
7.		रोपण के पश्चात पाँचवे वर्ष का रखरखाव				
		योग				

परिक्षेत्राधिकारी

उप वनमंडलाधिकारी

वनमंडलाधिकारी

वनसंरक्षक